मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेलरोड भोपाल

क्रमांक/मंडी कार्मिक/अ-374 /13 भोपाल, दिनांक 07/01/2022

// आदेश //

दिनांक 07/01/2022 को वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की जाकर पत्र क्रमांक/बी-6/नियमन/समीक्षा बैठक-5/412-413 दिनांक 04/01/2022 द्वारा सभी आंचलिक संयुक्त/उप संचालकों एवं सभी मंडी सचिवों को समीक्षा बैठक में दोपहर 12.00 बजे उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये थे। श्री छोटेलाल राय, मंडी निरीक्षक प्रभारी सचिव, कृषि उपज मंडी समिति रेहली जिला सागर का उक्त समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने एवं वरिष्ठालयों के आदेशों/निर्देशों का उल्लघन करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम,1998 के दिनियम 35(1) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री छोटेलाल राय, मंडी निरीक्षक प्रभारी सचिव, कृषि उपज मंडी समिति रेहली जिला सागर का मुख्यालय मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,आंचलिक कार्यालय सागर रहेगा। निलंबन अवधि में राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के **विनियम** 36 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी जिसका मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय सागर के प्रति माह 05 तारीख तक प्रमाणीकरण के आधार पर कृषि उपज मण्डी समिति रेहली से भुगतान देय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(विकास नरवाल)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

D:\d\Gere\Order\ORDER sanjaySupsend-2.docx-2

क्रमांक/मंडी कार्मिक/अ-374 //14 भोपाल दिनांक 07/01/2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1 विशेष सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

2- अपर संचालक (वि.जाच) मंडी बोर्ड मुख्यालय नियत समयावधि मे आरोप पत्रादि जारी करें।

3- अपर संचालक (नियम्न) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

4- संयुक्त संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय सागर की ओर भेजकर लेख है कि श्री छोटेलाल राय, मंडी निरीक्षक प्रभारी सचिव, कृषि उपज मंडी समिति रेहली जिला सागर के विरूद्ध 15 दिवस में आरोप पत्रादि का प्रारूप तैयार कर अपर संचालक (वि.जां.) मंडी बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें साथ ही कृषि उपज मंडी समिति रेहली में अन्य सचिव की पदस्थापना होने तक तत्कालिक व्यवस्था के अन्तर्गत समीपस्थ मंडी के सचिव को अतिरिक्त प्रभार सौपे।

5- भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति रेहली जिला सागर।

6- श्री छोटेलाल राय, मंडी निरीक्षक प्रभारी सचिव, कृषि उपज मंडी समिति रेहली जिला सागर की ओर पालनार्थ।

7- आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती/गो.च./विभागीय जॉच/कम्प्यूटर शाखा/मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

D:\d\Gere\Order\ORDER sanjaySupsend-2.docx-2